न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1761/2004/भरतपुर

1– बादामसिंह)पुत्रान श्री झल्लर
2– चरनसिंह)
3– सोहनपाल)
4– अतरसिंह)
5– खेमा)पुत्रगण श्री चरनसिंह
6– पदम)
7– गोविन्द पुत्र श्री बादामसिंह
सभी जाति गूर्जर, निवासी नगला तुला डुमरिया, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– रामलाल पुत्र चंदनसिंह जाति चोबदार निवासी नगला तुला, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

2– गिरधारी पुत्र चंदनसिंह जाति चोबदार निवासी नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

3– भीमसिंह पुत्र चंदनसिंह मृतक जरिये विधिक वारिसानः–

3/1 गिरधारी

3/2 योगेश

3/3 धर्मेन्द्र

पुत्रगण भीमसिंह जाति चोबदार निवासी नंगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

....प्रत्यर्थीगण

4– अर्जुनसिंह पुत्र श्री झल्लर, जाति गूर्जर, निवासी नंगला तुला तहसील रूपवास, जिला भरतपुर।

....तरतीबी प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

––

उपस्थितः–

सर्वश्री ओ0एल0दवे व राकेश अरोड़ा अधिवक्तागण अपीलार्थीगण।

श्रीमति ज्योति पारीक, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः 13–08–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 151/2000 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 23–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी रामलाल ने एक वाद अधिनियम की धारा 188 का प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहायक कलक्टर, रूपवास (भरतपुर) के न्यायालय में पेश किया, जिसे विचारण ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 06–05–99 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय करार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी की एकपक्षीय साक्ष्य ली जाकर बाद सुनवाई सहायक कलक्टर, रूपवास ने अपने निर्णय दिनांक 08–07–99 द्वारा वादी को विवादित भूमि का सह खातेदार सिद्ध होना मानते हुए

वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रार्थीगण ने प्रथम अपील भू प्रबबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश की। अपील के दौरान प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 व प्रारम्भिक प्रा0 पत्र पेश किए गए। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रा0 पत्रों पर बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23–04–2004 द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 खारिज कर दिया व प्रत्यर्थी द्वारा पेश किए गए प्रा0 पत्र दिनांक 21–04–2004 बाबत् प्राथमिक आपत्ति को स्वीकार कर एवं अपील मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दी। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील को केवल मात्र डिक्री की नकल पेश नहीं किए जाने के तकनीकी बिन्दू के आधार पर खारिज कर दिया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता उन्हें अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क था कि उन्होंने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रा0 पत्र व शपथपत्र के साथ पेश कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने का निवेदन किया किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन पर गौर किए बिना प्रथम अपील को मियाद बाहर होने के तकनीकी आधार पर ही खारिज कर दिया जबकि विभिन्न न्यायिक दृश्टांतों में यह मत

प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण को मात्र मियाद जैसे तकनीकी बिन्दू पर खारिज नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए पारित किया गया है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–04–2004 को निरस्त किया जावें व प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावें कि वे प्रकरण को गुणावगुण पर निष्रित करें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल के प्रवधान मेन्डेट्री है और इनकी अनुपालना नहीं किए जाने की स्थिति में अपील खारिज किया जाना विधिसम्मत है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने रेकार्डेड सह खातेदार द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 डिक्री किया है। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील में अपील के साथ डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश नहीं किए जाने की आपत्ति एवं मियाद के आधार पर प्रथम अपील को खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि तकनीकी आधारों पर अपील

खारिज करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपील के साथ डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई थी जबकि रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल के भाग द्वितीय के अन्तर्गत तत्कालीन विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश किया जाना आवश्यक था। मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल के प्रवधान मेन्डेट्री है और इनकी अनुपालना नहीं किए जाने की स्थिति में अपील खारिज किया जाना विधिसम्मत् है। हमारी सुविचारित राय में अभिलिखित खातेदार के पक्ष में उसके हिस्से की भूमि के संबंध में दी गई स्थाई निषेधाज्ञा विधिक रूप से उचित है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तत्कालीन कानून के अन्तर्गत जिस आधार पर प्रथम अपील निरस्त की है, वह कारण उचित है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई आधार हम नही पाते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–04–2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य